[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 06/2026-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 607(अ), दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात निम्नलिखित में से किसी भी माल की आपूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:-

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1518 के अंतर्गत आने वाला खाना पकाने का प्रयुक्त तेल;

(ii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3915 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 4004 के अंतर्गत आने वाले टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iv) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाला धातु स्क्रैप; या

(v) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8549 के अंतर्गत आने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप।"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 607(अ), दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 24/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 628(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।